

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:- स.19-2(1)स्था/राजपत्रित/अभि/2023/04370

जयपुर,दिनांक:-

**आदेश:-**

राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 एवं एफ.14(88) एफ.डी.(नियम) 2008 दिनांक 12.01.2018 एवं एफ.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में निम्न अभियोजन अधिकारियों को जिन्होंने 18 वर्ष की निरन्तर राजकीय सेवा संतोषजनक पूर्ण कर ली है, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से द्वितीय Modified Assured Career Progression (एम.ए.सी.पी) में पै मैट्रिक्स लेवल एल-15 में एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व पद	प्रथम नियुक्ति तिथि व पद	राज्य सेवा में सेवा अवधि पूर्ण वर्षों में	वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल संख्या	एम.ए.सी. पी. में देय पे मैट्रिक्स लेवल संख्या मय दिनांक	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अमृत लाल, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक प्रथम	18	एल-12	01.04.23 एल-15	01.07.2023
2.	श्रीमती भगवती चौहान, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक प्रथम	18	एल-12	01.04.23 एल-15	01.07.2023

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 व अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित अभियोजन अधिकारी की सेवा पुस्तिका में की जावे। यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित अभियोजन अधिकारी एम.ए.सी.पी. लिये जाने की तिथि को पुनरिक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

(रवि शर्मा)  
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:—

1. निदेशक अभियोजन , अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान ।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन/अभियोजन अधिकारी द्वारा संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान ।
4. रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव, गृह (विधि)